

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

पत्रांक 343

/ 8-8

मंझनपुर, दिनांक जनवरी 3

2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

साठवाठ प्रयागराज वृत्त,

प्रयागराज।

विषय-

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी० संख्या- 49.155 से किमी० संख्या 14.70 तक (रिंगरौर उपरहार से वरनपुर कादीपुर इक्वैली) पर हाईवेड वार्षिक मोड पर काम कर रहे एन०एच० 731ए जिला कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित 4लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या एफ०पी०/यू०पी०/ संड/ 153349/2022)

संदर्भ-

आपका पत्रांक 1913/15-1 दिनांक 02.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार

प्रेषित है-

बिन्दु संख्या	बिन्दु का विवरण	आख्या/सूचना
1	आप द्वारा प्रस्ताव में अंग्रेजी भाग-2 संलग्न नहीं किया गया है। अंग्रेजी भाग-2 ऑन लाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाये	भाग-2 ऑन लाइन भरकर अपलोड कर दिया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है किन्तु कौन सा मार्ग प्रभावित हो रहा है को चिन्हित नहीं किया गया है। चिन्हित गजट नोटिफिकेशन संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड की जाये।	गजट नोटिफिकेशन में प्रभावित मार्ग चिन्हित कर दिया गया है।
3	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक द्वितीय/यू०पी०/1149/आर०ओ०सी०/2012/एफ०सी० दिनांक 13.1.2012 में उल्लिखित बिन्दु संख्या- 02 एवं 03 से सम्बन्धित सूचना संलग्न है किन्तु उसमें फोटोग्राफ्स चरपा नहीं है।	प्रस्ताव स्थल की फोटोग्राफ फाइल में चरपा कर दिया गया है।
4	उ०प्र० शासन की पत्र संख्या-7314/14-3-198/82, वन अनुभाग-3 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें संलग्न है किन्तु मानक शर्तें किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, नाम व पदनाम अंकित नहीं है। नाम व पदनाम अंकित किया जाये।	निर्धारित मानक शर्तों में अधिकारी का नाम व पदनाम अंकित कर दिया गया है।

भवदीय,



(आर०एस० यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,

कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

8